भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 46/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 24 दिसंबर, 2018

विषयः चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा, आईटीसी (एचएस) 2017 की अनुसूची 1 (आयात नीति) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य निर्मितियों सहित) के आयात पर अधिसूचना सं. 14/2015–2020, दिनांक 22.06.2018 के अनुसार दिनांक 23.12.2018 तक रोक है।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में यथा उल्लिखित चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक को 4 माह की और अवधि के लिए अर्थात 23.04.2019 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढाया जाता है।

4. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य निर्मितियों सहित) के आयात पर रोक को 4 माह की और अवधि के लिए अर्थात 23.04.2019 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढाया जाता है।

इसे वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव
पदेन अपर सचिव भारत सरकार
ई मेलः– dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/898/एएम99/पीसी–2(ए)/ई–1252 से जारी)